

Process Engineer's Co-op. Housing Society Ltd.

JAMSHEDPUR

Reg No 29/JAM/29-9-86

Office

H No-33 Anupam Vihar Colony
DhirajGanj, Adityapur
PO Adityapur Industrial Area
Dist-Saraikela-Kharswan
Pin-832109

Ref.

Date 05/02/2024.....

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to be certify that RUCHI KHATRI.....
Son/^{wife}daughter of ROSHAN KUMAR KHATRI is the constituent
member of above Society having membership no:- 228..... dated :-
10.12.2022 and he / she has been allotted a residential plot no:-
62.... of Vivek Vihar colony / Anupam Vihar Colony, Adityapur and
Lease Deed has been registered in her/ his name (Lease Deed No:-
11.16..... dated :- 31.03.2023.) . Society has no objection if member
avails the facility of loan for construction of residential house in her /
his plot, from financial institutions

This is for kind information.

Dinesh Kumar
5/2/24.

yours Sincerely,

Nagendra Kumar Singh
Hony. Secretary

Hony. Secretary.



Meeting No-11 (2022-23)

आज दिनांक 11-11-2022 को यहाँ
 11 बजे को-ऑपरेटिव सोसायटी के कार्यालय में
 एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें
 निम्नलिखित सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक था
 जिनमें से उपस्थित हुए हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित
 सूची प्रस्तुत है।

S.No	Name	Plot No	Signature
1)	Pankaj K. Singh	20	[Signature]
2)	R. E. Pandey	37	[Signature]
3)	Rajendra Sachdev	18/19	[Signature]
4)	N. K. Singh	33	[Signature]
5)	P. K. Singh	16	[Signature]
6)	Omendra Singh	25	[Signature]
7)	S. C. Baranwal	E1	[Signature]
8)	Anand Singh	04	[Signature]
9)	Dipam Kumar Singh	17	[Signature]
10)	श्रीमान अरुण कुमार	E1	V. D. Baranwal

Attested
 N. K. Singh
 11/11/22

आज की इस बैठक का
 स. नंबर के कार्यालय में की गई। इसके बाद निम्न
 बातों पर चर्चा की गई। हमारे N.K. Singh
 ने इस उपस्थित करने को 26th A.M. को
 करवा कर हमारे पास आकर, इसके लिए धन्यवाद दी।
 हमारे (N.K. Singh) ने इस उपस्थित
 करने को बताया कि हमारे पास में एक हमारे
 नाम से प्रकृत जिनका Plot No-73 है, वह वह रहे है।
 लेकिन हमारे से रहा लगता है कि 'ground floor' में
 हमारे वह रहे है जो उस में रहे है लिए
 वह वह रहे है। लेकिन Society Plot में Commercial
 बनाना चाहते हैं। हमारे कि 21st में ही हमारे हमारे
 कोसा बनाना चाहते हैं कि केवल Residential
 बनाना है। और इसके में Assure है कि
 हम Commercial बनाने का नहीं चाहते, जिन उपस्थित
 है कि न हमारे पास मुझे था। हमारे से चर्चा
 में जानना - यह कि हमारे पास था।

को-ऑपरेटिव सोसायटी
 को-ऑपरेटिव सोसायटी
 को-ऑपरेटिव सोसायटी


1. ^{सदस्य}
 कुछ उम्मीदों के साथ ही नगरपालिका के नगरपालिका
 गलत काम चल रहे हैं, सब से पहले जान-बूझकर
 कुछ उम्मीदों का रास्ता था, कि जब Plot के
 allotment के बाद था, 30 रुपये Plot के किनारे
 के Industry का Waste water बह रहा था, जिस
 का भी इन्फोर्मिशन भी बहुत देर तक था, फाईनल
 किनारे Plot नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज
 इन्फोर्मिशन बदल गया है फाईनल फाईनल भी उम्मीदों का
 वगैरहों का-पार्सिंग Road के तरफ है एक opening
 को है करके देना, फिर भी सुनिश्च N.K. Singh
 ने देना उम्मीदों वाला है, लेकिन जो हमें
 उम्मीदों के किनारे देना, वहाँ की इन्फोर्मिशन
 बहुत बिना-किनारे के बाद निराशा देना था
 कि रोड-गलत Plot Main Road है हाथी दुख
 है, फाईनल देना भी नहीं Commercial वगैरहों
 है फाईनल इन्फोर्मिशन देना का गलत उम्मीदों है
 भी का देना फल उम्मीदों है, लेकिन जो उम्मीदों
 रखना है, इन्फोर्मिशन देना है, Plot Holder
 का किनारे नहीं देना उम्मीदों, Finally A.G.M के
 2) जो नगरपालिका N.K. Singh ने उम्मीदों देना
 का उम्मीदों देना किनारे देना है, कुछ Plot
 Sale में उम्मीदों Plot No 62 Viker Vihar, Plot No
 Plot No 26 Anupam Vihar, Plot No 45 Viker Vihar
 Plot No 96 Viker Vihar
 Non-Plot holder के उम्मीदों देना उम्मीदों
 कि फाईनल है जो देना है, लेकिन 15 दिन
 के फाईनल जो कि उम्मीदों देना है, फाईनल
 उम्मीदों देना है, कुछ उम्मीदों देना
 कि उम्मीदों देना है, जो Plot रखना-पार्सिंग
 फाईनल देना देना है, फाईनल देना देना
 का उम्मीदों देना फल उम्मीदों फल देना देना,
 लेकिन देना देना देना के देना के 6 (Six)
 माह के फाईनल देना देना देना, फाईनल कि
 जो Plot Sale में उम्मीदों फाईनल 35 देना
 है देना देना देना है उम्मीदों उम्मीदों देना
 ने उम्मीदों उम्मीदों देना देना देना देना
 उम्मीदों देना के फाईनल देना देना देना
 का माह देना देना देना देना देना

~~Attest~~
 11/12/22

अधिकारिता अधिकारी
 नगरपालिका प्रशासनिक कार्यालय
 नगरपालिका प्रशासनिक कार्यालय

59§ समिति रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बिहार के अनुमोदन से और बिहार-उड़ोसा सहकारी समिति अधिनियम § § बिहार एण्ड उड़ोसा को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट § § 6, 1935§ और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अनुसार परिसमापित की जा सकेगी, यदि इसके प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलाई गई सामान्य बैठक में उपस्थित सदस्यों में तीन-चौथाई सदस्य इसके लिए मत दे न

60§ ऐसे सभी विषयों के विशेष रूप से उपबन्धित न किए गए हों, बिहार उड़ोसा सहकारी समिति अधिनियम § § 1935§ और इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसार विनिश्चय किया जायेगा।



आवेदनकर्त्ताओं के हस्ताक्षर

Handwritten signature and date:
23/11/35

क्रम संख्या

①

Handwritten signature: R. Pandey

②

Handwritten signature: N. K. Singh

③

Handwritten signature: L. K. Singh

④

Handwritten signature: J. Prasad

⑤

Handwritten signature: N. Khakur

⑥

Handwritten signature: M. K. Khan

⑦

Handwritten signature: P. Singh

⑧

Handwritten signature: B. K.

⑨

Handwritten signature: Baramul

⑩

Handwritten signature: Anand C

⑪

Handwritten signature: Singh

⑫

Handwritten signature: Singh

⑬

Handwritten signature: B. Singh

⑭

Handwritten signature: Vinod K. Singh

⑮

Handwritten signature: R. K. R. N. O. K.

क्रमांक

वावेदन कर्त्ताओं के हस्ताक्षर

16



N. Jha

17

S. N. Jha

18

S. N. Jha.

19

B. K. Prasad

20

W. Jha

21

M. Jha

22

P. K. S. Jha

23

H. Jha

24

J. Singh

25

S. N. Prasad

26

S. Singh

27

R. Singh

28

J. D. Singh

29

U. Singh

क्रमांक 1 से 29 तक के
अविद्यमान कार्य बट्टियों के
हस्ताक्षर अभिलेखित
U. Singh
21/11/2018
सह. प्र. वि. वि. (30)
जयपुर

अन्यथा न हो सकती हो, ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति यथासंभव शीघ्र कर दी जाएगी,

§ 3 § किसी ऐसे कर्ज की प्रतिभूति के रूप में जो समिति को लेना पड़े ।

§ 4 § समिति के विघटन की दशा में आरक्षित निधि का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो रजिस्ट्रार, सहायक समिति, बिहार के अनुमोदन से, इस प्रयोजनार्थ खुलाई गई विशेष बैठक में सदस्यों के बहुमत से अवधारित किए जाएं ।

52 § उपविधियों में परिवर्तन - कोई भी उपविधि तब तक बनाई, परिवर्तित या निराकृत न की जायेगी, जब तक कि -

§ क § ऐसा करने का प्रस्ताव सदस्यों को, सामान्य बैठक की तारीख से दस दिन पहले, सूचित न कर दिया गया,

§ ख § संकल्प सामान्य बैठक में उपस्थित और मतदान करनेवाले सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित न कर दिया जाए, और

§ ग § बनाया जाना, परिवर्तन या निराकरण रजिस्ट्रार, सहायक समिति द्वारा अनुमोदित और रजिस्ट्रीकृत न कर दिया जाए ।

53 § प्रकोर्ण - किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा अथवा किसी मृत सदस्य की सम्पदा से समिति को शोध्य किसी ऋण के सम्बन्ध में, उस सदस्य या भूतपूर्व सदस्य की मृत सदस्य की जमा शेष पूंजी निधि और किसी अन्य धन पर समिति का भार होगा तथा समिति किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा के नाम जमा या उसे देय कोई राशि ऐसे किसी ऋण भुगतान के मद्दे मुजरा कर सकेगी ।

54 § जब कोई सदस्य, निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाएगी :-

प्रथमतः उसके द्वारा शोध्य फीस, जमाना तथा डाक रजिस्ट्रीकरण और अन्य प्रकोर्ण चार्जों में,

द्वितीयतः ब्याज में, और

तृतीयतः किस्तों सहित किस्तों में;

55 § समिति बिहार उड़ीसा सहायक समिति अधिनियम § बिहार एण्ड उड़ीसा को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट § 6, 1935 § और समिति को शासित करनेवाली नियमावली में तथा अपनी उपविधियों को एक-एक प्रति अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर सभी युक्तियुक्त समर्थों में निःशुल्क निरोक्षण के लिए खुली रखेगी ।

56 § यदि अधिनियम या किसी उपविधियों के सम्बन्ध में कोई शिकायत उठे तो निदेशक-बोर्ड उसे रजिस्ट्रार, सहायक समिति, बिहार के विनिश्चय के लिए उस के पास भेज देगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

57 § समिति को एक सामान्य मुहर होगी जो अतिरिक्त सचिव की अभिरक्षा में रहेगी

58 § समिति बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, लि० पटना से सम्बद्ध होगी ।

मे रहेगी
29/11

§ 28 निदेशक-बोर्ड सामाजिक चिकित्सा सम्बन्धी, आमोद-प्रमोदात्मक और ऐसे अन्य सख्त-सुविधाओं को, जिन्हें वह सदस्यों के लिए आवश्यक समझे, व्यवस्था कर सकेगा तथा सामान्य निकाय की बैठक का अनुमोदन से नियमों के अधीन यथा विहित दरों पर चन्दा लगा सकेगा।

48§ संपरोक्षा और लाभ वितरण - समिति को सविधिक §स्टैट्यूटरी§ संपरोक्षा बिहार-उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम §बिहार एण्ड उड़ीसा को-ऑपरेटिव सोसाईटीज ऐक्ट§ § 6, 1935§ और उसके अधिनियमों के अनुसार को जायगी।

49§ सविधिक §स्टैट्यूटरी§ संपरोक्षा के अतिरिक्त, वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्त संपरोक्षा भी समिति के लेखे को संपरोक्षा कर सकेगी।

50§ समिति का लेखा प्रति वर्ष 30 जून को बन्द हो जायगा। सविधिक §स्टैट्यूटरी§ संपरोक्षा के बाद, शून्य लाभ को व्यवस्था सामान्य बैठक में निम्नलिखित रूप में को जायगी

§क§ 35 प्रतिशत से वारक्षित निधि में जमा कर दिया जायेगा।

§ख§ 10 प्रतिशत से अनधिक राशि इन्वन्ट और शक्तिस्पद अणु-निधि में जमा को जा सकेगी।

§ग§ 10 प्रतिशत से अनधिक राशि सामान्य भलाई-निधि में जमा को जा सकेगी।

§घ§ समादत्त शेयर धन पर सेवा कः प्रतिशत से अनधिक लाभांश घोषित किया जा सकेगा।

§ड.§ गृह-मूल्य के आधार पर रिट घोषित किया जा सकेगा।

घोषित रिट सदस्यों को नकद तब तक देय नहीं होगा जबतक कि समिति का बकाया उनके यहाँ पड़ा हो। हरेक सदस्य को एक रकम उसके किस्ती खरोद लेखे में जमा कर दो जायगी।

§च§ समिति के पूर्वधारियों को बोनस के रूप में अधिक-से-अधिक एक महोने का वेतन दिया जा सकेगा।

§छ§ यदि कोई शेष हो तो उसे आगे ले चला जायेगा।

51§ वारक्षित निधि - § 11§ वारक्षित निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

§क§ अधिनियम के अधीन निधि में प्रतिवर्ष डाला गया, शून्य लाभ का 35 प्रतिशत, लाभ में से या अन्यथा इसमें आवंटित कोई अन्य रकम,

§ख§ रजिस्ट्रेशन को तारोख से तीन वर्षों तक समिति को गठित करने में हुए प्रारम्भिक खर्चों को काटकर प्रवेश फीस,

§घ§ समिति में समपद्धत शेयरों का मूल्य।

§ 28 वारक्षित निधि समिति को होगी और सदस्यों के बीच न बाँटो न जायेगी।

§ 38 वारक्षित निधि निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए उपबन्ध होगी :-

§क§ किन्हीं अपूर्वदृष्ट परिस्थितियों से हुई हानि को पूरा करने के लिए, इस निधि से को गई ऐसी परिस्थितियों को प्रतिपूर्ति यथासम्भव शीघ्र कर दो जायगी,

§ख§ समिति से को गई किसी ऐसी माग को पूरा करने के लिए जिसकी पूर्ति

अतिरिक्त
29/11/51

और अधिक-से-अधिक इक्कीस दिन बाद को किसी तारीख के लिए स्थगित कर देगा । स्थगित बैठक में संपादित किया जानेवाला कार्य वही और उसमें अभिन्न होगा जो मूल बैठक के लिए प्रस्तावित था । यदि ऐसी स्थगित बैठक में भी कोरम पूरा न हो तो संकल्प, साधारण सामान्य बैठक को छोड़कर जिसमें संकल्प उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किए जा सकेंगे उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा पारित किए जा सकेंगे ।

39§ अध्यक्ष, बैठक की अनुमति से किसी बैठक को एक समय से दूसरे समय के लिए स्थगित कर सकेगा, किन्तु जिस बैठक का स्थान हटा हो उस बैठक में अद्वारे छोड़े गए कार्य से भिन्न कोई भी कार्य किसी स्थगित बैठक में संपादित नहीं किये जाएंगे ।

40§ सामान्य बैठक के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

- §क§ समिति के पूर्ववर्ती वर्ष के कार्य पर निदेशक-बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करने उस पर विचार करना;
- §ख§ समिति के पिछले वर्ष के सम्परोक्ष लेखे पर विचार कर उसे अंगीकृत करना तथा इन उप-विधियों के अनुसार उस वर्ष के लाभ को व्यवस्था करना ;
- §ग§ इन उप-विधियों के अनुसार आगामी वर्ष के लिए निदेशक-बोर्ड के सदस्य को निर्वाचित करने
- §घ§ यदि आवश्यक हो तो, आगामी वर्ष के लिए समिति के अधिक आंतरिक संपरोक्ष निर्वाचित करना जो निदेशक-बोर्ड का सदस्य के सदस्य न होंगे और उसका/उनका, पारिश्रमिक नियत करना ;
- §ङ.§ आगामी वर्ष के लिए बजट मजूर करना ;
- §च§ विद्यमान उप-विधियों में से किसी के संशोधन या निरसन पर विचार करना, जिसकी सम्यक् नोटिश दे दी गई हो;
- §छ§ निदेशक-बोर्ड के विभिन्न विनियमों के विरुद्ध कोई अपील को सुनवाई करना और उन पर विचार करना ;
- §ज§ वर्ष के लिए अधिकतम उधार सीमा नियत करना ;
- §झ§ समिति के विभिन्नक्रिया कलापो के लिए उप-समितियां गठित करना; और
- §ट§ ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो प्रस्तुत किया जाय ।

41§क§ यदि कोई सदस्य किसी तरह समिति को छोड़ा दे या यदि उसका आचरण ऐसा हो कि समिति के हित में उसका हटाया जाना आवश्यक हो, तो सामान्य बैठक ऐसे सदस्य को निष्कासित कर सकेगी । यदि किसी सदस्य के यहाँ बाकी धन को वसूलो के लिए समिति को इजराय कराना पड़े तो निदेशक-बोर्ड उसे सदस्यता से हटा सकेगा । इस उपविधि के अधीन सदस्यता से इस प्रकार हटाए गए सदस्य को, उससे समिति को प्राप्त कोई धन काट कर समिति द्वारा उसे देय सभी धन चुका दिया जायेगा । लेकिन उसको शेषर-पूजी उसे तबतक नहीं लौटाई जायगी, जबतक कि उपविधि 4 के अनुसार समिति के सदस्य होने का पात्र कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित शेषर सरोदने के लिए आगे न आए

Handwritten signature and date
29/11

और जबतक कि इस प्रकार पुनः आवंटित शेयरों का मूल्य समिति को चुका न दिया जाए जैसा कि उपविधि 17 § में उपबध्दित है निष्कासित सदस्य सदस्यता समाप्त होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि में समिति के उन ऋणों को चुकाने का भागी होगा जो ऋण सदस्यता समाप्त होने की तारीख को विद्यमान थे ।

§ उपर्युक्त उप-खण्ड के अधीन दिए गए या किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील सदस्य को आदेश सूचित किए जाने की तारीख के बाद होनेवाली सामान्य निकाय की पहली बैठक में की जायगी ।

42 § निधि विनिधान - समिति अपनी उन निधियों को, जिसका उपयोग कारबार में न हुआ हो, निम्नलिखित किसी भी रूप में विनिहित कर सकेगी :-

§ 1 § डाकघर बचत बैंक में ।

§ 2 § भारतीय न्यास अधिनियम § इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट §, 1882 की धारा 20 में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में ।

§ 3 § रजिस्ट्रार सहायक समिति, बिहार के अनुमोदन से किसी रजिस्ट्रोक्त समिति के शेयर या उसकी प्रतिभूति में ।

§ 4 § रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित, को कारबार करनेवाले किसी बैंक में ।

43 § भूमि को खरोद और गृह-निर्माण - सदस्य को सामान्य बैठक द्वारा समय-समय पर, पारित किए जानेवाले संकल्प के अधीन निदेशक-बोर्ड को ऐसे सभी कार्य करने की पूरी शक्ति होगी; जिसे वह उप-विधि सं 3 में विनिर्दिष्ट सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे । इसमें भूमि या गृह खरोदने, धारण करने, बेचने-विमिश्रण करने, बन्धक करने, किराया लगाने, पट्टे या उप-पट्टे पर देने, अभ्यर्पित करने या अभ्यर्पण स्वोकार करने तथा गृह-निर्माण करने की शक्ति भी शामिल है ।

44 § निदेशक-बोर्ड निम्नलिखित के लिए सक्षम होगा -

1 § सरकार से या सरकार के जर्जियन या अन्यथा भूमि खरोदना;

2 § इस प्रकार खरोदी गई भूमि को बसाने लायक बनाना;

3 § गलियाँ और सड़कें निकालना तथा भूमि को गृह-स्थलों के रूप में सविभाजित करना;

4 § सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के हाथ उन शर्तों पर स्थल बेचना या पट्टा पर देना या उनके विषय में अन्यथा संव्यवहार करना, जैसा कि वह अधारित करे, और

5 § जल आपूर्ति, जल निकास, रोशनी, सामुदायिक भवन § हॉल §, पुस्तकालय, और सामान्य स्त्री उपयोग वाले ऐसे ही निर्माणों का उपबन्ध करना या उन्हें बनाए रखना ।

45 § गृह-निर्माण - § 1 § समिति द्वारा अर्जित भूमि पर निदेशक-बोर्ड अपने द्वारा यथाविहित मानक वाले भवनों का निर्माण करेगा या करायेगा । यदि कोई खास सदस्य ऐसा चाहे तो, बोर्ड अन्य प्रकार के भवनों का निर्माण भी अपने हाथ में ले सकेगा,

अभिप्राय
2011

बतें कि निदेशक-बोर्ड ने यह योजना अनुमोदित कर दी हो और सम्बद्ध सदस्य ने गृह-निर्माण प्रारम्भ करने के पहले अतिरिक्त लागत का भुगतान एक या एक से अधिक किस्तों में जैसा कि निदेशक-बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाय, कर दिया हो।

§2§ जब स्थल अर्जित, अभिन्नस्त और वसूलेकृत वगोक्त कर किये जाए तो निदेशक-बोर्ड सदस्यों को स्थलों का चुनाव करने को अनुमति दे सकेगा। यदि दो या दो से अधिक सदस्य एक ही स्थल लेना चाहें तो निदेशक-बोर्ड लाँटरो द्वारा इस प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगा। जब एक बार किसी सदस्य ने अपनी इच्छा से, अथवा लाँटरो द्वारा अपने स्थल का चुनाव कर लिया हो, तो यह चुनाव अन्तिम होगा और सम्बद्ध सदस्यों के बीच पारस्परिक ठहराव के अतिरिक्त अन्यथा प्रतिसहृत नहोके किया जा सकेगा। किसी भी सदस्य को एक से अधिक प्लॉट लेने को अनुमति नहीं दी जाएगी।

§3§ निदेशक-बोर्ड एक ही आकार के विभिन्न प्लॉटों के लिए, उनकी स्थिति के अनुसार, विभिन्न कोमते नियत कर सकेगा।

46§ गृह-आवटन - §क§ हरेक सदस्य, समिति में प्रवेश पाने के समय, वह गृह-वर्ग उल्लिखित करेगा जिस वर्ग को गृह वह समिति से किस्तो-खरोद द्वारा अर्जित करना चाहता हो और, उप-विधि 47§ के अन्तर्गत उपबधित आशय का तथा सदस्यों द्वारा सविदा का पालन न किए जाने पर समिति को उपरोक्त आशय को सौमा तक क्षतिपूर्ति करने का भी करार निष्पादित कर देगा।

§क§ §1§ जैसे ही गृह पूरा हो जाय, निश्चित और किस्तो-खरोद-पद्धति से सदस्यों को किराये पर देने लायक हो जाए; जैसे ही सूका मूल्यांकन कर लिया जायेगा और प्रत्येक गृह या मूल्य, समिति द्वारा इसके प्रयोजनार्थ रखी जानेवाली बहो में सम्बद्ध सदस्य के नाम के सामने लिख दिया जाएगा।

§2§ समिति गृहों का मूल्य उन सदस्यों से जो उन्हें देकर निदेशक-बोर्ड द्वारा तथा अवधारित किस्तों में वसूल करेगी और सदस्यों से इस प्रकार वसूल की गई किराए को रकम इसके प्रयोजनार्थ लिए गए कर्जों को अदायगी में विप्रेक्षित करेगी।

47§क§1§ किस्तो खरोद से अभिप्रेत यह है कि समिति कोई चल या अचल सम्पत्ति किसी सदस्य द्वारा विहित पारम में यह करार निष्पादित करने पर उसके हवाले कर देगी। वह सदस्य निर्धारित लागत और समिति द्वारा समय-समय पर नियत की जानेवाली दर पर ब्याज जो सवा छः प्रतिशत से अधिक न होगा, अधिक-से-अधिक 20 वर्षों को अवधि के भीतर, मासिक किस्तों में समिति को चुका देगा। परन्तु स्वामित्व का अधिकार तबतक समिति का ही रहेगा जबतक कि उस पर देय मूलधन और ब्याज सहित सभी रकमें, समिति को चुका न दी जाए। तीन लगातार किस्तों में देने, समिति को करार रद्द करने, सदस्य को उसे आवंटित सम्पत्ति से बेदखल करने और किसी अन्य सदस्य के साथ फिर से बन्दोबस्त करने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में केवल मूलधन में समिति को चुकाई गई किस्तों की रकम, निदेशक-बोर्ड द्वारा यथा-विनिश्चित अनुपात से अनुषंगिक व्यय, अक्षय, ब्याज आदि घटाकर सम्बद्ध सदस्य को

29/11/2011

लौटा दो जायगी। सदस्य को मृत्यु या उसकी स्थायी अस्मर्थता या सदस्यता को समाप्त को दशा में, उसके विधिक वारिसों पर समिति को सभी बकाया रकमें चुकाने का दायित्व होगा और ऐसा न करने पर सम्पत्ति किस्त का भुगतान न करने वाले सदस्य से ली जायगी।

§2§ गृह तबतक समिति को सम्पत्ति बना रहेगा जबतक कि सदस्य पूरा बकाया न चुका दे। इस अवधि में सदस्य निदेश-बोर्ड द्वारा अवधारित दर पर, समिति को नाम मात्र का किराया चुकाएगा। पूरा बकाया चुका दिये जाने पर स्वामित्व सम्बद्ध सदस्य को अन्तरित कर दिया जाएगा। समिति आवंटित सदस्य के पक्ष में एक विक्रय विलेख में निष्पादित कर स्थल और भवन उसे हस्तांतरित कर देगी। गृह-स्वामिसे, उपयुक्त अवधि समाप्त होने के बाद भी, समिति का कम-से-कम एकशेयर धारण करने को उपेक्षा को जायगी।

§3§ यदि कोई सदस्य किस्तो-खरोद पद्धति पर गृह लेकर उसका पूरा मूल्य नहीं चुकाए, किस्तो खरोद सविदा को विक्रण्डित करे या सविदा को शर्तों का पालन न करे या किस्त किराया, कर, आदि के भुगतान में अथवा किस्तो-खरोद सविदा को किन्हीं अन्य शर्तों के सम्बन्ध में या अन्यथा चुक करे, तो वह गृह से बेदखल कर दिया जायगा और ऐसा बेदखल किया गया सदस्य उन किस्तों को जिन्हें उनसे किस्तो-खरोद-पद्धति के अधीन समिति को चुकाया हो और उस गृह के जिसे समिति को वापस कर लेगी, मूल्य मढ़े अपने द्वारा की गई प्रारम्भिक जमा को वापसके का हकदार न होगी। फिर भी निदेश-बोर्ड अपने विवेकानुसार उसे ऐसी रकम लौटा देगी जिसे वह न्युनतम चित समझे।

§4§ गृह-किस्तो-खरोद-कगुर में वे शर्तें और शर्तें भी विनिर्दिष्ट रहेंगे, जो किस्तो खरोद पद्धति के अधीन गृह खरोदने के इच्छुक सदस्यों को समिति द्वारा किये गए पट्टे के सम्बन्ध में निदेश-बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

§5§ कोई भी सदस्य निदेश-बोर्ड को पूर्वानुमति के बिना सम्पत्ति वा उसके किसी भाग को न तो समनुदेशित करेगा न उप-पट्टे पर देगा और न उसका कब्जा छोड़ेगा। जब कोई सदस्य गृह बेचना या अन्तरित करना चाहे तब पहला आफर समिति के बही-मूल्य पर किया जाएगा।

किसी सदस्य द्वारा देय किस्त, किराया, रेंट और कर जिस महीने में देय हों, उस महीने के बाद वाले महीने को 10 तारीख को या उसके पूर्व चुका दिये जायेंगे और ऐसा न करने पर, अतिदेय {ओवरड्यु} रकम पर प्रति रुपया प्रतिमाह एक पैसे की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यदि किसी किस्तो खरोदार के यहाँ किस्तो खरोद किस्त आदि से सम्बन्धित बकाया छः महीनों से अधिक समय से बाकी हो तो वह अपनी अभिधुति से बेदखली और उपर्युक्त उपविधि 47§क§3§ के अधीन कारवाई का भागी होगा।

मरम्मत और रख रखाव - स§1§ निदेश-बोर्ड गृहों को साधारण वार्षिक मरम्मत और विशेष मरम्मत के लिए अपने द्वारा न्यूनतम दर पर, वार्षिक या आवधिक फीस लगा सकेगा।

अभिधुति
29/11

अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विचार किया जा सकेगा ।

असाधारण सामान्य बैठक निदेशक-बोर्ड द्वारा किसी भी समय या नामांकित सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता प्राप्त होने पर, ऐसी अध्यक्षता को तारीख के एक महीने के भीतर बुलाई जा सकेगी । विशेष सामान्य बैठक रजिस्ट्रार, सहायक समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारियों को अध्यक्षता पर, समिति के मुख्यालय में, ऐसे समय और स्थान पर, बुलाई जाएगी जैसा कि उस अध्यक्षता में विनिर्दिष्ट हो । सचिव के लिए यह लाजिम होगा कि वह रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का आदेश प्राप्त होने के लिए इक्कीस दिनों के भीतर विशेष सामान्य बैठक आयोजित करे । उसके ऐसा न करने पर, रजिस्ट्रार या उक्त व्यक्ति, सदस्यों को एक पक्ष को या समिति को उप-विधियों में यथा-उपबिधित नोटिश देने के बाद, स्वयं बैठक बुला सकेगा और ऐसी बैठक को, समिति को उप-विधियों के अनुसार, स्थोजित विशेष सामान्य बैठक की सभी शक्तियां होंगी ।

35§ निदेशक-बोर्ड समिति के ऐसे नामांकित सदस्यों को एक सूची रखेगा; जो सामान्य बैठकों में मतदान के लिए अधिकृत हों और सामान्य निकाय को प्रत्येक बैठक के पहले एक फरवारे के भीतर ऐसी सूची को अद्यतन करेगा । अतिरिक्त सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सूची को प्रति उन सदस्यों को जो इसे लेना चाहे, इस निमित्त निदेशक-बोर्ड द्वारा यथाविहित फीस भुगतान करने पर आपूरित करे । समिति को किसी सामान्य बैठक के लिए नियत तारीख के पूर्ववर्ती फरवारे में कोई सदस्य नहीं ~~आवश्यक~~ ~~करना~~ बनाया जाएगा ।

36§ उपस्थित रहने पर अध्यक्ष सामान्य निकाय को बैठकों की सभापतित्व करेगा । उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक का सभापतित्व करने के लिए किसी सभापति का चुनाव कर सकेगा । हरेक उपस्थित सदस्य का एक मत होगा । परोक्षी द्वारा मतदान की अनुमति न दी जायेगी । सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा । मत बराबर होने पर बैठक के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

37§ सामान्य बैठक की नोटिश जिस तारीख को बैठक होनेवाली हो उसके कम-से-कम पूरे चौदह दिन पहले सभी सदस्यों को दे दी जाएगी; जिसमें उस बैठक में संपादित किए जाने वाले कार्य का स्थान; तारीख और समय उल्लिखित रहेंगे । कोई भी बैठक इस कारण अवधिमान्य न समझी जायेगी कि किसी सदस्य या सदस्यों को नोटिश प्राप्त नहीं हुई, किन्तु अतिरिक्त सचिव को इस बारे में हमेशा उचित सावधानी बरतनी चाहिए कि नोटिस सभी सदस्यों को दे दी जाए ।

38§ सामान्य बैठक का कोरम तीस या सदस्यों की कुल संख्या की एक चौथाई का, जो भी कम हो, होगा । यदि कोरम एक घण्टे के भीतर पूरा न हो तो अध्यक्ष यदि बैठक असाधारण सामान्य बैठक हो तो उसे स्थगित कर देगा और यदि बैठक साधारण सामान्य बैठक या विशेष सामान्य बैठक हो तो उसे कम-से-कम पूरे सात दिन

अतिरिक्त सचिव
29/11

रजिस्ट्रार से पत्राचार करे और समिति से सम्बन्धित अन्य सभी कार्य करे ।

30§ निदेशक-बोर्ड को प्रत्येक वर्ष के लिए सामान्य निकाय द्वारा स्वीकृत मान के अनुसार और बजट आवंटन के भीतर, समिति के प्रबन्ध के लिए यथावश्यक व्यय करने की शक्ति होगी ।

2§ समिति के वर्तमान पदाधिकारियों तथा सेवक की भरती की पद्धति, सेवा-शर्त, वेतनमान और भत्ता नियत करने, बढ़ाने या नियमित करने के लिए स्थायी पदाधिकारी तथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक मामलों के निपटारे में अपनाई जानेवाली प्रक्रिया, निदेशक-बोर्ड द्वारा बनाई गई तथा रजिस्ट्रार, सहयोग समिति द्वारा अनुमोदित कार्य-नियमावली द्वारा शासित होगी ।

31§ कोई भी व्यक्ति समिति की सेवा को किसी कोटो में वेतनिक पदाधिकारी या सेवक के रूप में; ऐसे रूप में और ऐसे मानक के अनुसार प्रतिभूति दिये बिना नियुक्ति नहीं किया जायेगा, जैसा कि निदेशक-बोर्ड, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, उस समिति को या जिस समिति वर्ग में वह आती हो उसकी सेवा को ऐसी कोटि के लिए नियत करे ।

32§ कोई भी वेतनिक पदाधिकारी या सेवक समिति की सेवा को किसी कोटि में नहीं रखी जायेगा, यदि उसने निदेशक बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रार के अनुमोदन से यथानिदेशित समय के भीतर ऐसे रूप में और ऐसे मानक के अनुसार प्रतिभूति नहीं दी हो, जैसा कि निदेशक-बोर्ड; रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, उस समिति को या जिस समिति वर्ग में वह आती हो, उसकी सेवा को ऐसी कोटि के लिए, जिसमें वह काम कर रहा हो निदेशित करे ।

33§ निदेशक-बोर्ड के समिति के कार्य-संचालन के लिए अधिनियम, अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली और उप-विधियों के संगत समनुष्णो नियम बनाने के लिए स्थायी होगा । ऐसे समनुष्णो नियम समिति को कार्य-वृत्त प्रकृत पुस्तक में दर्ज किए जायेंगे और उन्हें रजिस्ट्रार सहकारी समिति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा ।

34§ सामान्य निकाय - सदस्यों का सामान्य निकाय समिति के प्रशासन से संबंधित सभी विषयों का अन्तिक प्राधिकार होगा । सामान्य निकाय समिति के कार्य और खासकर निदेशक बोर्ड के कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण रहेगा तथा ऐसी सभी कारवाइयां करने के लिए स्थायी होगा जो समिति के हित में आवश्यक समझी जाएं ।

सामान्य बैठक तीन प्रकार की होगी -

क) साधारण, ख) असाधारण और ग) विशेष ।

साधारण सामान्य बैठक हर एक वर्ष कम-से-कम एक बार सहकारिता वर्ष की समाप्ति से छः महीनों के भीतर आयोजित की जायेगी । यदि संपरोक्षक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित तुलन-पत्र सहित कानूनी संपरोक्षा रिपोर्ट, वार्षिक सामान्य बैठक के लिए नियत तारखे से पहले पूरी नहीं की गई हो, तो, लाभ के व्ययन के सिवा इन उप-विधियों में यथा उपबिधित साधारण सामान्य बैठक की सभी कार्य-मंदेश बैठक में सम्पादित की जाएंगे । लाभ के व्ययन और संपरोक्षा रिपोर्ट पर इस प्रयोजनार्थ की जाने वाली असाधारण सामान्य बैठक में या

Handwritten signature and date
22/11

27] कोई भी व्यक्ति निदेशक-बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र न होगा, यदि वह --

क] समिति का वैतनिक कर्मचारी हो, या

ख] समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो, परन्तु यदि यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि अमुक व्यक्ति समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी है या नहीं, तो यह प्रश्न रजिस्ट्रार, सहायक समिति के पास विनिश्चय के लिए भेजा जायगा, जो अन्तिम होगा, या

ग] लिए गये किसी कर्ज या कर्जों के सम्बन्ध में वह समिति के प्रति व्यक्तिगत हो।

28] समिति के निदेशक-बोर्ड का कोई सदस्य, सदस्य के पद पर न रह जायेगा, यदि वह -

क] समिति का वैतनिक कर्मचारी हो जाय, या

ख] समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो जाय; या

ग] समिति से दिए गए किसी कर्ज या कर्जों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत करे और यदि वह व्यक्तिगत तीन महीने तक जारी रहे, या।

घ] समिति के साथ को गई किसी सविदा में या समिति द्वारा प्राइवेट तौर पर या किसी नोलाम में को गई किसी खरोद बिक्री में या उसको ऐसी सविदा या संव्यवहार में, जिसमें कोई वित्तीय हित अभिग्रस्त हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध हो जाय अथवा समिति के किसी सदस्य को कोई ऐसी सम्पत्ति, जो उस सदस्य के यहां समिति के बकाये को वसूलो के लिए नोलाम को जा रही हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से खरोदे।

3] समिति का कोई भी पदाधिकारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निम्नलिखित से हितबद्ध नहीं होगा --

1] समिति के साथ को गई किसी सविदा से, या

2] समिति द्वारा प्राइवेट तौर पर या किसी नोलाम में को गई किसी खरोद-बिक्री से, या

3] विनिधान या उधार से भिन्न समिति को किसी ऐसी सविदा या संव्यवहार में, जिसमें वित्तीय हित अभिग्रस्त हो।

4] समिति का कोई भी पदाधिकारी समिति को किसी सदस्य को ऐसी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं खरोदेगा जो उस सदस्य के यहां समिति के बकाये को वसूलो के लिए नोलाम को जा रही हो।

28] समिति को चूकाए गए सभी धन के लिए रसोद दो जायेगा। इन सदस्यों द्वारा चूकाए गए धन को रसोद पर, सचिव या इस कार्य के लिए निदेशक-बोर्ड द्वारा प्राधिकृत समिति का कोई कर्मचारी हस्ताक्षर करेगा। सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों या अन्य समितियों या सरकार से उधार लेने की दशा में रसोद या बन्ध पत्र [बाउंड] निदेशक-बोर्ड के कम-से-कम तीन सदस्य निष्पादित करेंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा।

29] निदेशक-बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर, सविधिक लेखे और रजिस्टर रखे, रजिस्ट्रार द्वारा को गई तपरोक्षा या निरोक्षण संबंधी टिप्पणिया प्राप्त होने के चार महीने के भीतर उन्हें सदस्यों को सामान्य बैठक में रखे...8

§28 निदेशक-बोर्ड को कार्यवाही बोर्ड में किसी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

§38 निदेशक-बोर्ड का कोई भी सदस्य, समिति के सचिव के पास त्याग-पत्र भेजकर किसी भी समय पदत्याग कर सकेगा किन्तु ऐसा त्याग-पत्र निदेशक-बोर्ड द्वारा स्विकृत किये जाने का तारोन्न से ही प्रभावी होगा ।

238 निदेशक-बोर्ड समिति का काम काज संचालित करने के लिए हरेक दो महीने पर या उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो; अपनी बैठक करेगा । निदेशक-बोर्ड की बैठक के लिए कोरम पांच होगा । निदेशक बोर्ड के सम्मक्ष रखे गये सभी प्रश्नों का विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जायेगा । मत बराबर होंगे पर, अध्यक्ष या अन्य पोठासोन सदस्य को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा । निदेशक-बोर्ड का कोई भी सदस्य, निदेशक-बोर्ड को किसी बैठक में उस समय उपस्थित नहीं रहेगा, जब किसी ऐसे विषय पर, जिसमें वह स्वयं हितबद्ध हो, विचार-विमर्श किया जा रहा हो । बहुत ही आवश्यक स्थिति में, जब निदेशक-बोर्ड की बैठक संयोजित करने के लिए पर्याप्त समय न हो, और ऐसे सभी मामलों में, जिनमें समय-समय पर, निदेशक-बोर्ड द्वारा ऐसी प्रक्रिया विहित की जाय, सचिव कागज-पत्र परिचालित करके निदेशक-बोर्ड के आदेश प्राप्त कर सकेगा । परिचालन द्वारा किया गया ऐसा विनिश्चय, निदेशक-बोर्ड की अगली बैठक के समय उनके अनुसमर्थन के लिए रखा जायेगा । यदि ऐसे परिचालन के दौरान कोई मतभेद उठ छड़ा हो, तो उस विषय का विनिश्चित परिचालन द्वारा नहीं करके उसे निदेशक-बोर्ड की बैठक के सम्मक्ष रखा जायेगा ।

248 यदि निदेशक-बोर्ड का कोई निरुपस्थित सदस्य निदेशक-बोर्ड की चार लगातार बैठक में उपस्थित न हो, तो निदेशक बोर्ड उसे बोर्ड की सदस्यता से हटा सकेगा ।

258 निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर, प्रारित किये जानेवाली संकल्प के अध्यक्षीन, समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

§क8 अध्यक्ष समिति के सभी काम-काज पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा;

§ख8 जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो और उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की शक्तियां लिखित रूप में प्रत्योजित की गई हों तब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा । अध्यक्ष को अनुपस्थिति में वह निदेशक-बोर्ड की बैठक को अध्यक्षता करेगा,

§ग8 अध्यक्ष के समस्त नियन्त्रण के अध्यक्षीन, सचिव समिति के सभी मामलों पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा और, निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से, समिति के रोक्ड और अन्य सम्पत्तियों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा ।

26818 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सचिव, अथवा निदेशक-बोर्ड के कोई तीन सदस्य उस सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे जो समिति पर प्रभाव या दायित्व सृजित करते हों ।

§28 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सचिव अथवा सचिव तथा निदेशक-बोर्ड के कोई दो अन्य सदस्य किसी भी मूल्य के चेक या भ्रूतान आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम होंगे ।

बकाया रकम छुट्टम हो जाए बशर्ते कि इससे समिति की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव न पड़े ।

14} क} किसी भी सदस्य को अपने द्वारा धारित कोई शेयर अन्तरित करने की अनुज्ञा तबतक नहीं दी जायगी, जबतक कि अन्तरित की सदस्यता सदस्य होने का पात्र रहने वाला ऐसा व्यक्ति न हो जिसे समिति सदस्य के रूप में स्वीकार करने की इच्छुक हो ।

शेयर का अन्तरण तबतक प्रवृत्त न होगा जबतक निदेशक-बोर्ड उसे मंजूर न करे । हरेक अन्तरित की केवल । रु० पौस देगा ।

ख} शेयर प्रमाण-पत्रों के अन्तरण के पृष्ठांकन पर, अध्यक्ष वा सचिव, जिसे भी निदेशक-बोर्ड ने इस निमित्त प्राधिकृत किया हो, हस्ताक्षर करेगा ।

15} क} समिति किसी सदस्य की मृत्यु होने पर पूजो में उसके शेयर या हित को, उप-विधि 9 के अनुसार नाम निर्देशित व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगी, या यदि इस प्रकार नाम निर्देशित कोई व्यक्ति न हो, तो ऐसे व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगी जो निदेशक-बोर्ड को इन उप-विधियों के अनुसार यथास्थिति ; उसका वारिस या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो; परन्तु समिति मृत सदस्य का शेयर या हित सदस्य की मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होने के तीन महोने के भीतर, ऐसे नाम निर्देशित, वारिस या विधिक प्रतिनिधि अथवा आवेदन के निदिष्ट किसी ऐसे सदस्य को, जिसे जो इसके लिए अर्हित हो, अन्तरित करे, देगी ।

ख} पूर्वोक्त के अधीन, समिति मृत सदस्य को समिति द्वारा देय अन्य सभी धन यथास्थिति, ऐसे नाम निर्देशित वारिस या विधिक प्रतिनिधि को चुका देगी ।

ग} समिति द्वारा इस उप-विधियों के सम्बन्धों के अनुसार किए गए सभी अन्तरण और भुगतान, किसी व्यक्ति द्वारा समिति से की गई किसी मांग के प्रति विधिमान्य तौर प्रभावों होंगे ।

16} भुगतान में व्यक्तिक्रम - यदि कोई सदस्य किसी शेयर को किस्त तीन महोने से अधिक समय तक नहीं चुका पाए तो निदेशक-बोर्ड ऐसे सभी शेयरों को, उनके मद्दे किए गए सभी भुगतानों सहित, समपद्धत और इन शेयरों से लगे सदस्यता अधिकार को समाप्त घोषित कर सकेगा । इस प्रकार समपद्धत शेयर समपहरण को नोटिस तारीख से छः महोनों के भीतर, सभी बकायों का और प्रति शेयर पच्चास पैसे नवोकरण पौस का भुगतान करने पर नवोक्त किए जा सकेंगे । समापद्धत शेयर की रकम आरक्षित निधि में जमा की जायगी ।

17} दायित्व - क} समिति के ऋणों के सम्बन्ध में किसी सदस्य का दायित्व उसके द्वारा शेयरों के अंकित मूल्य के दाने तक सीमित रहेगी ।

ख} 11} कोई भूतपूर्व सदस्य, जैसा कि उप-विधि 17} क} में उपबन्ध किया गया है, समिति को देय उन ऋणों के लिए जो उसकी सदस्यता समाप्त होने की तारीख को विद्यमान थे, उस तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए जिम्मेवार रहेगा ।

ग} मृत सदस्य की संपदा, जैसा कि उप-विधि 17} क} में उपबन्ध किया गया है...

29/11/20

समिति को देय उन ऋणों के लिए जो वह उसकी मृत्यु की तारीख को विद्यमान थे उसकी मृत्यु के बाद दो वर्षों को अवधि तक दायित्वाधीन रहेंगे ।

18॥ निधि - समिति निम्नलिखित स्रोतों से निधि जुटा सकेगी :-

- ॥क॥ शेयर अभिदाय,
- ॥ख॥ सरकार या अन्य स्रोतों से उधार,
- ॥ग॥ रजिस्ट्रार, सहकारी समिति का पूर्व अनुमोदन लेकर डिपेंडर जारी कर के,
- ॥घ॥ सदस्यों द्वारा किये गये निक्षेप,
- ॥ड॥ सदान और अनुदान;
- ॥च॥ प्रवेश फीस और अन्य फीस,
- ॥छ॥ समिति द्वारा बनाई गई कोलोनी में सड़क, जलापूर्ति, रोशनी और स्वच्छता के अनुरक्षण मध्ये अभिदाय,
- ॥ज॥ समिति द्वारा बनाई गई कोलोनी में सामाजिक, शैक्षिक, आमोद-प्रमोदात्मक और चिकित्सा संस्थाओं मध्ये अभिदाय ।

19॥ उधार - समिति, रजिस्ट्रार, सहकारी समिति के अनुमोदन से निदेशक-बोर्ड द्वारा यथा विनिश्चित दरों और निबन्धनों पर, सरकार और अन्य स्रोतों से अपनी अपेक्षा अनुसार धन उधार लेगी ।

20॥ अधिकतम उधार - समिति का उधार चाहे निक्षेप के जरिये हो या अन्यथा, और चाहे सदस्यों से लिखित रूप से किसी भी सम्पत्ति, उसकी समादत्त शेयर पूंजी और आधिकारिक दस्तावेजों से अधिक न होगा ।

21॥ निदेशक बोर्ड - शेयरधारियों के सामान्य निकाय द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले विनिश्चयों के अध्याधीन, समिति के मामलों का कार्यकारी प्रबन्ध एक निदेशक-बोर्ड में निहित होगा ।

निदेशक-बोर्ड में एक तिहाई का नाम निर्देशन रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बिहार तीन वर्षों / एक वर्ष के लिए करेगा ।


22॥ निदेशक-बोर्ड के सदस्य, प्रति वर्ष वार्षिक सामान्य बैठक में, सदस्यों के बीच से शेयरधारियों के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचित किये जाएंगे । कोई अन्तरिम व्यक्ति या ऐसी कोई रिक्ति, जो मूल निर्वाचन के समय भरी नहीं गई हो, मूल अवधि के अन्तर्गत भाग के लिए निदेशक-बोर्ड के शेष सदस्यों द्वारा सहयोजन के जरिये भरी जा सकेगी । सामान्य निकाय, निदेशक-बोर्ड के किसी भी सदस्य को किसी भी समय निकालने और उसके स्थान पर किसी अन्य को निर्वाचित करने के लिए सम्मत्त होगा तथा इस प्रकार निर्वाचित सदस्य, केवल मूल अवधि के अन्तर्गत भाग के लिए ही पद धारण करेगा ।

Handwritten signature and date 24/11

XX

१११
श्री एस इन्जीनियर्स, ~~प्राइवेट लिमिटेड~~
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
सहकारी गृह निर्माण समिति, लि०,

वारीडीह (जामोदपुर)



दिनांक २९.९.१९८६
श्री एस इन्जीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग
सोसाइटी लि० वारीडीह
जामोदपुर

२९.९.८६
वारीडीहा


प्रमाणित किया जाता है कि यह विज्ञापन एस इन्जीनियर्स
उपविधि-सी तंत्रित प्रति है। इसे अनुमोदित-
उपविधिये विज्ञापन किया गया सही पाया।

अधीन
२९/९/८६


सह-प्रबन्धक (उ०)
जामोदपुर

30/01/23, 12:24 PM

Signature of Operator




Seal and Signature of Registering Officer



जिला अवर निबंधक
सरायकेला खरसावा


Above signature & thumb Impression are affixed in my presence.

Above mentioned, (THE PROCESS ENGINEERS CO OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED Rep By Nagendra Kumar Singh), has/have admitted the execution before me. He/ She/ They has / have been identified by (ASIM KUMAR PRADHAN) Son/Daughter/Wife of (SON OF Narayan Pradhan) resident of (OF Itagarh, Post-Itagarh, District-Seraikella-Kharsawan, Jharkhand, PIN 831002) and by occupation (Business).



Signature of Registering Officer

Seal and Signature of Registering Officer



जिला अवर निबंधक
सरायकेला खरसावा

Date:- 31-Mar-2023

Ruchi Khatri

उन्हे आर्थिक हित के लिए सभी आवश्यक और समीचीन काम करना ।

4१ सदस्यता - १।१ समिति के सदस्य ऐसे व्यक्ति हों सकेगे जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हों और जो प्रवर्तन-क्षेत्र के भीतर घर लेना चाहते हों तथा जिन्होंने रजिस्ट्रार के आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिया हो या जो निदेशक-बोर्ड द्वारा बाद में सदस्य बनाए जाएं या जो उपविधि 9 के अनुसार ऐसे सदस्यों के नाम-निर्देशितो या विधिक-वारिस हों ।

१.2१ ऐसा कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार की समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा, यदि --

१क१ वह 18 वर्ष से कम उम्र का हो ;

१ख१ वह समिति या सम्बद्ध समिति का वैतनिक कर्मचारी हो;

१ग१ वह विकृत चित्त का हो;

१घ१ उसने दिवालिया या शोधाक्षम के रूप में न्याय निर्णित किये जाने के लिए आवेदन किया हो या वह अनुमानित दिवालिया अथवा अनुमोचित शोधाक्षम व्यक्ति हो; या

१ड.१ उसे ऐसे अपराध के लिए दण्डादेश दिया गया हो जो राजनीतिक स्वरूप के अपराध से भिन्न या जिसमें नैतिक अपचार अतिगंभीर हो और ऐसा दण्डादेश न तो रद्द किया गया हो और न अपराध क्षमा कर दिया गया हो ।

5१ सदस्य के रूप में प्रवेश करने वाले प्रवर्तन के आवेदन के लिए समिति द्वारा विहित फारम में, वैतनिक सचिव के पास दिया जायेगा । ऐसे हरेक आवेदन का निदेशक-बोर्ड निपटारा करेगा जिस प्रवेश नामजूर करने का कारण नामजूर करने को शक्ति होगी । प्रबन्ध समिति का विनिश्चय प्रवर्तक को विनिश्चय के पन्द्रह दिनों के भीतर संसूचित कर दिया जायेगा । जिस व्यक्ति का सदस्यता का आवेदन प्रबन्ध समिति ने नामजूर कर दिया हो वह विनिश्चय संसूचित किये जाने के साठ दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

6१ कोई भी व्यक्ति अधिकार पूर्वक सदस्य बनने का दावा नहीं कर सकेगा ।

7१ ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस समिति के प्रवर्तन-क्षेत्र के भीतर किसी दूसरी सहकारी आवास समिति का सदस्य हो, इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा ।

8१ हरेक व्यक्ति समिति का सदस्य बनने के लिए अपने आवेदन के साथ १० प्रवेश-फीस देगा । यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाय, तो प्रवेश-फीस लौटा दी जायेगी । ऐसे सभी व्यक्ति, जिन्होंने समिति के रजिस्ट्रार के लिए दिये गये आवेदन पर हस्ताक्षर किए हों, समिति के रजिस्ट्रार के तारीख से चार सप्ताह के भीतर प्रवेश-फीस देगे, जिसे नहीं देने पर उनके नाम समिति को सदस्यता से हटा दिये जायेगे । हरेक सदस्य को उप-विधियों को एक प्रति दी जायेगी ।

9१ समिति का हरेक सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकेगा,



OFFICE OF THE SUB REGISTRAR

Office Name :- SRO - Saraikela

District Name :- SaraikelaKharsawan

State Name :- Jharkhand

Deed Endorsement

Token No :- 202300034741

Deed Type	Lease
Number of Pages	64
Fee Details	Stamp Duty :- Rs. 20000, E :- Rs. 2000, SP :- Rs. 960, A1 :- Rs. 15000,
Property No.	1
Valuation Details	Value :- Rs.0/- , Transaction Amount :- Rs.0/-
Property Details	District :- SaraikelaKharsawan , Tehsil :- Gamharia , Village Name :- Asangi-Ward No7 - 126 Location :- Other Road, Asangi Ward No 7 Village Code 126 Property Boundaries :- East: SOCIETY PLOT NO.61, West: SOCIETY BOUNDARY WALL, South: SOCIETY ROAD 20 FT WIDE ROAD, North: SOCIETY COMMON BOUNDARY WALL Khata Number - 96Plot Number - 210Volume Number - 1Page Number - 501Holding Number - 0020002337000M0Ward Number - OLD4 Area Of Land :- 9.00 Decimal 0.00 Square Feet

Sh./Smt. THE PROCESS ENGINEERS CO OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED Rep By Nagendra Kumar Singh s/o/d/o/w/o SON OF Late Bhikham Singh has presented the document for registration in this office today dated :- 31-Mar-2023 Day :- Friday Time :- 12:24:01 PM




THE PROCESS ENGINEERS CO OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED Rep By Nagendra Kumar Singh (Individual)


N.K. Singh


Party Name	Document Type	Document Number
THE PROCESS ENGINEERS CO OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED Rep By Nagendra Kumar Singh	PAN/UID	ADKPS4473Q

Ruchi Khatri

Disclaimer : I hereby declare that all the contents of uploaded document and the original document are exactly same, and all the information provided by me are true to itself. The detail of property's holding number has been verified by me at the time of entry through alert generated by the system. I am satisfied with the verification and hence proceeding further for registration after seeing the alert.


Deed Writer / Advocate


Vendee / Claimant


Vendor / Executant

कोरोना को हराना है सफाई को अपनाना है



दो गज की दूरी मास्क है जरूरी

अपराधित्व
विशेष इन्फॉर्मेशन को आपरेटिव हाथ
२० वारीसी, (अन्यथा)

Ruchi Khatri



Document Registration Summary 1

Date : 31-Mar-2023

- Government/Market Value: ₹0/-
- Transaction Amount: ₹0/-
- Paid Stamp Duty: ₹20000/-

M.K. Singh
 On Date 31-03-2023 Presented at SRO - Saraikela
 Signature of Presenter

SRO - Saraikela

Receipt : 805537

Receipt Date : 31-03-2023

Presenter Name : - *M.K. Singh*

E	₹2000
SP	₹960
A1	₹15000
Stamp Duty	₹20000

Total	₹37960
--------------	---------------

Payment Head	Amount To Be paid	Paid Amount	Balance Amount	Payment Mode	Payer Name	Reference No.	Payment Amount
Stamp Duty	20000	20000	0	GRAS	RuchiKhatri	GRN Number : 2316464614 DEPT Transaction Id : 3edbbba392e97032452c1 Transaction Type :	20000
E	2000	2000	0	GRAS	RuchiKhatri	GRN Number : 2316464626 DEPT Transaction Id : 13d62704f6a92b25e66d Transaction Type :	2000
SP	960	960	0	GRAS	RuchiKhatri	GRN Number : 2316464626 DEPT Transaction Id : 13d62704f6a92b25e66d Transaction Type :	960
A1	15000	15000	0	GRAS	RuchiKhatri	GRN Number : 2316464626 DEPT Transaction Id : 13d62704f6a92b25e66d Transaction Type :	15000
Sub Total	37960	37960	0				

Article : Lease Number of Pages : 64

[Signature]
 Signature of Operator

[Signature]
 Signature of Head Clerk

[Signature]
 Signature of Registering Officer

Ruchi Khatri

Sr.NO	Party Name and Address	Is e-KYC Verified?	e-KYC Details	Power Of Attorney	Party Type	Party_Photo	Finger Print	Signature
1	THE PROCESS ENGINEERS CO OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED Rep By Nagendra Kumar Singh Address1 - OF H.No.11, Cross Road No.2, Old T. C Colony, B.H Area, Kadma, Jamshedpur, Jharkhand, PIN 831005, Address2 - , , , Jharkhand PAN No.: ADKPS4473Q, Permission Case No.-	Yes	Nagendra Kumar Singh Address:- H.No-11, , Cross Road No-2, Old T.C. Colony, Po.Kadma, JAMSHEDPUR, , Purbi Singhbhum, 831005, , Jharkhand, India		LESSOR Age:75			<i>N.K. Singh</i>
2	RUCHI KHATRI Address1 - OF H.No.23, S.K.G Colony, Kandra, Post and Ps-Kandra, District-Seraikella-Kharsawan, Jharkhand, PIN 832402, Address2 - , , , Jharkhand PAN No.: DVYPK3232C, Permission Case No.-	Yes	Ruchi Khatri Address:- Q no - M 23, Behind Shiv Mandir, S.K.G Colony, , Kandra, , Seraikela-Kharsawan, 832402, , Jharkhand, India		LESSEE Age:31			<i>Ruchi Khatri</i>

Identification:

Sr.NO	Party Name and Address	Photo	FingerPrint	Signature
1	ASIM KUMAR PRADHAN S/o-D/o SON OF Narayan Pradhan Address1 - OF Itagarh, Post-Itagarh, District-Seraikella-Kharsawan, Jharkhand, PIN 831002, Address2 - , , , Jharkhand PAN No.:			<i>ASIM KUMAR PRADHAN</i>

Witness:

I/We individually/Collectively recognize the Seller(S) and Buyer(s)

Sr.NO	Party Name and Address	Photo	Thumb	Signature
1	CHANDI PRASAD SAHOO Address1 - OF 38U, Pattanayak Tola, Ward No.6, Seraikella, Ps-Seraikella, District-Seraikella-Kharsawan, Jharkhand, PIN 833219, Address2 - , , , Jharkhand			<i>Chandi Prasad Sahoo</i>

Ruchi Khatri



Pre Registration Docket

Date :- 17-03-2023 11:30 pm
31.03.2023

Office Name :-
Token No:- 202300034741

Article	Lease
Pre Registration Date	17-Mar-2023
No. Of Pages	32
Stamp Duty	20000
Paid Stamp Duty	0
Total Fees	₹ 17,960.

Property Id: 930433

Valuation No. : 1261269 / 2023	:- 2022-2023	Date : 17-March-2023 22:47:PM
State : Jharkhand	District : SaraikelaKharsawan	Tahsil : Gamharia
Land Type : Urban	Corporation : Adityapur Notified Area Committee	Village/City : Asangi-Ward No7 - 126
Asangi Ward No 7 Village Code 126 - Other Road -		
Khata Number - 96		
Plot Number - 210		
Volume Number - 1		
Page Number - 501		
Holding Number - 0020002337000M0		
Ward Number - OLD4		

Valuation Rule : Skip Valuation

Property Details

1	Land area	9 Decimal
2	Area of Constructed Property	0 Square Feet
3	Skip Valuation Remark	LEASE DEED FOR 30 YEARS
4	Skip Valuation Reason	Other

Calculation Details

Note : Final Valuation is Rounded to Next 100/-

Total Valuation ()	₹0/-
Total Amount in Words : Rupees Only.	

Land measurement, Sub Part and House No.

Property Boundaries


East: SOCIETY PLOT NO.61, West: SOCIETY BOUNDARY WALL,
South: SOCIETY ROAD 20 FT WIDE ROAD, North: SOCIETY
COMMON BOUNDARY WALL

Ruchi Khatri

निबंधन कार्यालय में दस्तावेजों की जांच हेतु चेकलिस्ट

क्र० सं०	चेकलिस्ट का विषय	Yes	No
1.	खतियान की सत्यापित प्रति।	✓	
	खतियान उपलब्ध न होने की स्थिति में अंचल कार्यालय से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त -		
	(i) अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाणित पंजी-II अथवा		
	(ii) भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा		
	(iii) शुद्धि पत्र		
	(iv) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने की स्थिति में पक्षकार द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन समर्पित करने की प्राप्ति रसीद।		
2.	भूमि से संबंधित हाल सर्वे नक्शा तथा इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में पक्षकार द्वारा तैयार स्वप्रमाणित नजरी नक्शा जिससे भूमि की अवस्थिति के संबंध में पता चल सके।	✓	
3.	पंजी-II का वाल्युम संख्या तथा पृष्ठ संख्या का वर्णन।	✓	
4.	मुद्रांक शुल्क का भूगतान।	✓	
5.	निबंधन शुल्क का भूगतान।	✓	
6.	आधार सत्यापन।	✓	
7.	PAN सत्यापन।	✓	
8.	होलिडिंग संख्या का वर्णन (शहरी क्षेत्र होने की स्थिति में)	✓	

जांच लिपिक का हस्ताक्षर
तिथि सहित



 निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
 तिथि सहित

Ruchi Khatri

Sl.No.	Membership No.	Member's Name	Father's Name	Address	Remarks / Mobile
143	218	Suraj Kumar Bhadani	S/o Late Jugal Kishore Bhadani	D-2, Gitanjali Complex, Kadma, Jamshedpur - 831005	
144	219	Manoj Kumar Rajak	S/o Late Manik Chand Rajak	Bungalow No. 4, A-Road, Northern Town, Jamshedpur - 831001	
145	220	Kumari Sweta	W/o Pankaj Kumar Singh	229/A, New Professional Flats, B. H. Area, Kadma, Jamshedpur - 831005	
146	221	Ramesh Kumar Singh	S/o Dip Naryan Singh	30, J Road, Bistupur, Jamshedpur - 831005	
147	222	Anand Kumar Singh	S/o Rameshwar Singh	GF-5 / 64, Golmuri Flats, Golmuri - 831003	
148	223	Dipen Kumar Sarkar	S/O Manoranjan Sarkar	Q.No. 8, LIC Colony, Saldih, Adityapur - 831013	
149	224	Sanjeev Jha	S/O C. K. Jha	14/47 Road No, 23, Farm Area, Kadma, Jamshedpur -831005	
150	225	Dinesh Kumar Pathak	S/O Late R. S. Pathak	Q. no. 52/L5, Road no. 4, Farm Area, Kadma, Jamshedpur-831005	
151	226	Smt. Savita Kumari	W/O Yogesh Kumar	H.No. 1588, Indraprasth Colony, Gamharia- 832108	
152	227	Smt. Nisha Kumari	W/O Rajesh Kumar Singh	HIG/196, New Housing Colony, Hariom Nagar, Adityapur-1, Saraikela Kharswana-831013	
153	228	Smt. Ruchi Khatri	W/O Roshan Khatri	H.No. 23, S.K.G. Colony, PO+PS Kandra, Saraikela Kharswana	
154	229	Ashish Kumar Singh	S/O Arun Kumar Singh	I type - 8/7, Adityapur New Housing Colony, Adityapur, Saraikela Kharswana-831013	
155	230	Suresh Kumar	S/O Late R. S. Pathak	212, TAYO Colony, Gamharia, Saraikela Kharswana	
156	231	Smt. Bajnti Devi	W/O Ram Dayal Saw	131, Dindli, Manjhi Tola, Hariom Nagar, Adityapur-831013	

Ruchi Khatri

N.K. Singh



PROCESS ENGINEERS CO-OP HOUSING SOCIETY LIMITED, JAMSHEDPUR

REGN. NO. 29/JAM/29-9-1986

Office : 11, Old T.C. Colony, Cross Road - 2, B. H. Area, Kadma, Jamshedpur-5.

LIST OF MEMBERS AS ON :- 15.03.2023

SLNo.	Membership No.	Member's Name	Father's Name	Address	Remarks / Mobile
1	1	Sri Ram Ekbal Pandey	Late B. Pandey	55, Vidyasagar Path, Uliyan, Kadma, Jamshedpur - 831005.	
2	2	Sri Nagendra Kumar Singh	Late Bhikham Singh	11, T.C. Cross Road No.2, B.H. Area, Kadma, Jamshedpur - 831005.	
3	3	Sri Umesh Prasad Srivastav	Sri Tarini Prasad	913, Parasnath, Vijaya Heritage, Kadma, Jamshedpur - 831 005.	
4	4	Sri P. K. Sinha	Sri B. S. Prasad	314-E-Block-3, Aditya Syndicate, (Near Sahara City), Adityapur - 2, Jamshedpur - 831 014.	
5	5	Sri Umesh Prasad Sinha	Late R. N. Sinha	F/21, Lilack Apartment, Asiana, Sonari, Jamshedpur - 831011.	
6	6	Sri M. D. Singh	Late Triyogi Singh	12, T.C. Cross Road No.2, B.H. Area, Kadma, Jamshedpur - 831005.	
7	7	Sri B. K. Prasad	Late Bhagwat Singh	C/6/1, Jaiprabha Complex, Kadma, Jamshedpur - 831005.	
8	8	Sri Kameshwar Pandey	Late Ramanuj Pandey	2A, Jayanath Tower, Bhalubasa Chowk, P.O. Agrico, Jamshedpur - 831 009.	
9	10	Sri Indrajeet Singh	Sri Sita Ram Singh	Ma Guru, Pardih, Near Prince Hotel, P.O. Kapali, Mango, JSR-12.	
10	11	Sri Naresh Bahadur	Sri S. Bahadur	20, B. Road, N. Town, Jamshedpur-1	
11	14	Sri Nawal Kishor Singh	Late Bishnu Deo Singh	B-504, M.P. City, Baikunth Palalce, Adityapur - 832109	

Ruchi Khatri

N. K. Singh

Area	Land area : 9.00 Decimal, Area of Constructed Property : 0.00 Square Feet, Skip Valuation Remark : , Skip Valuation Reason : Other
Other Description of the Property	Pin Code - 832109, Flat Number/Commercial Space Number - Na, Building Name - Na
Government/Market Value	0
Transaction Amount	-

LESSEE	-Mrs. RUCHI KHATRI, Address - OF H.No.23, S.K.G Colony, Kandra, Post and Ps-Kandra, District-Seraikella-Kharsawan, Jharkhand, PIN 832402- ,Father/Husband Name WIFE OF Roshan Khatri , PAN No.- *****232C,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****8614
LESSOR	-Mr. THE PROCESS ENGINEERS CO OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED Rep By Nagendra Kumar Singh, Address - OF H.No.11, Cross Road No.2, Old T. C Colony, B.H Area, Kadma, Jamshedpur, Jharkhand, PIN 831005- ,Father/Husband Name SON OF Late Bhikham Singh , PAN No.- *****473Q,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****5324

Witness Information	Mr. CHANDI PRASAD SAHOO , Address - OF 38U, Pattanayak Tola, Ward No.6, Seraikella, Ps-Seraikella, District-Seraikella-Kharsawan, Jharkhand, PIN 833219-, Father/Husband Name-SON OF late Golak Bihari Sahoo
---------------------	---

Identifier Details	Mr. ASIM KUMAR PRADHAN , Address - OF Itagarh, Post-Itagarh, District-Seraikella-Kharsawan, Jharkhand, PIN 831002-, Father/Husband Name-SON OF Narayan Pradhan
--------------------	---

Fee Rule:Government Original Lease Deed		20,000
1	Stamp Duty	

1	SP	960
Total		960
Fee Rule:Government Original Lease Deed		15,000
1	A1	2,000
2	E	17,000
Total		17,000

All the entries made, have been verified by me and are found same as the entries of the document presented.


Ruchi Khatri

कार्यालय, निर्वाचन पदाधिकारी, प्रोसेस ईन्जीनियर्स कोपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लि०
आदित्यपुर, गम्हरिया ।


मैं विनोद कुमार सिन्हा, निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रसार पदाधिकारी गम्हरिया प्रखण्ड संचालन पदाधिकारी सह सहायक निबंधक, सहयोग समितियों सरायकेला अंचल, सरायकेला के ज्ञापांक 554 दिनांक 08.08.2018 तदनुसार झारखण्ड सहकारी सोसाईटी नियमावली 1935 (यथा संशोधित 1959 एवं 2015) के नियम 21-प(4), 21-त(1) तथा 21-थ के तहत पूर्व निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रमानुसार संपन्न कराये गये निर्वाचन प्रक्रिया के फलस्वरूप निम्नंकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने अंकित पद नाम के साथ आज दिनांक 22.11.2018 को विशेष आम सभा में वर्ष 22.11.2018 से 21.11.2023 अवधि तक के लिये निम्नलिखित अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित करता हूँ ।

क्रमांक	निर्वाचित उम्मीदवार का नाम	निर्वाचित घोषित हुए पद का नाम
01	श्री हरिश्चन्द्र पाण्डेय	अध्यक्ष
02	श्री रामइकबाल पाण्डेय	उपाध्यक्ष
03	श्री नागेन्द्र कुमार सिंह	सचिव
04	श्री पी.एल. साह	कार्यकारिणी सदस्य
05	श्री आर.डी. सिंह	कार्यकारिणी सदस्य
06	श्रीमति शर्मिला देवी	कार्यकारिणी सदस्य
07	श्रीमति वीणा बर्णवाल	कार्यकारिणी सदस्य
08	श्रीमति शान्ति देवी	कार्यकारिणी सदस्य
09	श्रीमति रानी महता	कार्यकारिणी सदस्य

स्थान:- समिति कार्यालय


(विनोद कुमार सिन्हा)
सहकारिता प्रसार पदाधिकारी,
सह निर्वाचन पदाधिकारी,
प्रोसेस ईन्जीनियर्स को. हाउसिंग सोसाईटी लि०
आदित्यपुर, गम्हरिया ।

ज्ञापांक- 10 / दिनांक- 24/11/2018
प्रतिलिपि:- 1. सभी निर्वाचित पदाधिकारी एवं समिति सदस्य,
2. संबंधित बैंक के शाखा प्रबन्धक,
3. सहायक निबंधक, सहयोग समितियों, सरायकेला अंचल सह संचालन पदाधिकारी, सरायकेला अंचल के आदेश संख्या-554 दिनांक- 08.08.2018 के अनुपालन में सुचनार्थ समर्पित ।


21/11/2018
सहकारिता प्रसार पदाधिकारी,
सह निर्वाचन पदाधिकारी,
प्रोसेस ईन्जीनियर्स को. हाउसिंग सोसाईटी लि०
आदित्यपुर, गम्हरिया ।

Binu Khatri

Token No.: 202300034741


CERTIFICATE

Office of the SRO - Saraikela

This Lease was presented before the registering officer on date **31-Mar-2023** by **THE PROCESS ENGINEERS CO OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED Rep By Nagendra Kumar Singh, S/O, D/O, W/O SON OF Late Bhikham Singh** resident of OF H.No.11, Cross Road No.2, Old T. C Colony, B.H Area, Kadma, Jamshedpur, Jharkhand, PIN 831005 ..

This deed was registered as Document No:- **2023/SAR/1236/BK1/1116** in Book No :- **BK1**, Volume No :- 186 from Page No :- 115 to 178 at, office of **SRO - Saraikela**

Date:- **31-Mar-2023**



Registering Officer

Ruchi Khatri



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

August 30, 2019

पंजी II प्रति

भाग वर्तमान	1	पृष्ठ संख्या	501										
जिला का नाम	सरायकेला-खरसावां	अनुमंडल नाम	सरायकेला	अंचल का नाम	गम्हरिया	हलका का नाम	हलका-02	इस्टेट का नाम	झारखण्ड				
मौजा का नाम	आसंगी	होलिडिंग संख्या	0-96+11/n-77+82	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	02/0126	खाता का प्रकार	---				
मेसर्स प्रोसेस इन्जिनीर्स को ऑपरेटिव हाउसिंग सो०, सचिव- उमेश प्रसाद श्रीवास्तव, जाति-.....													
खाता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा			परिवर्तन के लिए प्राधिकार		लगान	सेस					
96	210	0 ऐ 20.5 डि 0 हे			न०मु०स०- 379/92-93		48.3	70.04					
11	213	0 ऐ 16 डि 0 हे											
11	213	0 ऐ 3.75 डि 0 हे											
	कुल परिमाण	0 ऐ 40.25 ऐ 0 ऐ											
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल

List Of Case Status Details

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करें।

नक्शा देखें



Ruchi Khatri

कार्यवाही के लिए
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
झारखण्ड सरकार

Ruchi Khatri

स्थायी लेखा संख्या /PERMANENT ACCOUNT NUMBER
ADKPS4473Q



नाम /NAME
NAGENDRA KUMAR SINGH

पिता का नाम /FATHER'S NAME
BHIKHAM SINGH

जन्म तिथि /DATE OF BIRTH
15-01-1948

हस्ताक्षर /SIGNATURE

N. K. Singh

आयकर आयुक्त, रांची
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, RANCHI

इस कार्ड के खो / गिर जाने पर कृपया जारी करने
वाले प्राधिकारी को सूचित / वापस कर दें
आयकर आयुक्त,
केन्द्रीय राजस्व भवन,
मेन रोड,
रांची - 834001.

In case this card is lost/found, kindly inform/return to
the issuing authority :
Commissioner of Income-tax,
Central Revenue Building,
Main Road,
Ranchi - 834001.

N. K. Singh

Ruchi Khator

TILAK MAHTO
 (Sole Proprietor)
 CHAIBASA, L.No. 1/1873
 FIVE RUPEES

आवेदन संख्या 4917
 दिनांक 2.12.27
 प्रतिष्ठान निर्गत निज गण
 ४४ लीमिटेड साईबसा

आसमा
 सराईबसा

सं.	नाम	पते.	मालिक	रकबा.	विवरण
1	श्रीमती विनासी उरमी	पुरानी परती	श्रीमती	0-12-069	कैफियत: यह प्लॉट नं. 11 के अंतर्गत है।
2	श्रीमती चरणी महो	पुरानी परती	श्रीमती	0-12-063	कैफियत: यह प्लॉट नं. 11 के अंतर्गत है।
3	श्रीमती अंजलि समान	पुरानी परती	श्रीमती	0-12-069	कैफियत: यह प्लॉट नं. 11 के अंतर्गत है।
4	श्रीमती चरणी महो	पुरानी परती	श्रीमती	0-12-063	कैफियत: यह प्लॉट नं. 11 के अंतर्गत है।
5	श्रीमती अंजलि समान	पुरानी परती	श्रीमती	0-12-069	कैफियत: यह प्लॉट नं. 11 के अंतर्गत है।


N.K. Singh
 जमीन सर्वे कार्यालय के अधिकारी
 साईबसा (असमोस प्रदेस)

सं.	नाम	पते.	मालिक	रकबा.	विवरण
1	श्रीमती अंजलि समान	पुरानी परती	श्रीमती	0-26-100	कैफियत: यह प्लॉट नं. 11 के अंतर्गत है।
2	श्रीमती चरणी महो	पुरानी परती	श्रीमती	0-26-100	कैफियत: यह प्लॉट नं. 11 के अंतर्गत है।
3	श्रीमती अंजलि समान	पुरानी परती	श्रीमती	0-26-100	कैफियत: यह प्लॉट नं. 11 के अंतर्गत है।

Record of rights duly framed and
 Published under section 17
 of the Land Revenue Act
 on 23 DEC 1961
 The correctness of same published or
 signed on 23 DEC 1961



Kuchi Khatri



MOUZA - ASANGI
 THANA - SARAİKELA
 THANA NO - 126
 SHEET NO - 1
 DIST. - (SARAİKELA KHARSWAN)
 SCALE - 16" = 1 Mile
 YEAR - 1958 - 59

M.K. Singh
 Ruchi Khatri


अखिल भारतीय
 समाजवादी दल
 का कार्यालय
 १००, नारायण
 (कलकत्ता-१)

Ruchi Khatri

DETAIL LAYOUT PLAN OF "PROCESS ENGINEERS' CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY" LTD.
 [II-PHASE]. OLD BARIDIH, JAMSHEDPUR-17.

SCALE - 1 C.M. = 15 M/ETC.

MAUZA-ASANGI, WARD No: 4, A.N.A.C:



Ruchi Khatri

ORIGINAL AND DUPLICATES ARE SAME AND CORRECT TO EACH OTHER.

R.K. Singh
 अधिवक्ता

श्री १०० इन्डियन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.
 ३०० नारीको (जमशेदपुर)

Ruchi Khatri


MOUZA - ASANGI
 THANA - SARAİKELA
 THANA NO - 126
 SHEET NO - 1
 DIST. - (SERAİKELA KHARSWAN)
 SCALE - 16" = 1 Mile
 YEAR - 1958 - 59



AREA SHOWN IN

KHATA NO	PLOT NO	SOCIETY PLOT NO	AREA
96	210 (P)	62	3905.5 Sq.ft. or (9.0 Dec)

NORTH - SOCIETY BOUNDARY WALL
 SOUTH - 20' WIDE SOCIETY ROAD
 EAST - SOCIETY PLOT NO. 61
 WEST - SOCIETY BOUNDARY WALL



N.K. Singh

Ruchi Khatri

Ruchi Khatri


A Amin
 Reg.no- 784/02-03

Photo & Signature of the Lessee :-



Ruchi Khatri 31.03.23


Photo & Signature of the Identifier :-



Signature of Witnesses :-

1. ASIM KUMAR PRADHAN
S/O - MARYAM PRADHAN
AT - 124, K.G. ROAD, SOUTH PARK BISTUPUR
58R-1
2. Chand; Prasad Sahoo.
S/o - Late - Golak bihar; Sahoo.
31.03.23

Read over & Explained the contents of this lease deed to the Lessor & Lessee who after admitting the contents to be correct put their signature in my presence. Certified that the finger prints of left hand of each person whose photographs are affixed in this document has been obtained before me.


31.03.23
Kaushik Kumar
Advocate, (Seraikele)
E. No.1715/2002

Ruchi Khatri

M. K. Singh
भारत का
श्री श्री विद्यार्थी कोषाभियोग हाथ/क.
श्री श्री श्री (अभियोग/प्रश्न)
Ruchi Khatri
31.03.23

14.5.2023
भवतानि ३१.३.२३
रुची खोटे (अवधेयप्रद)
Ruchi Khater

demised land or any part thereof whether by means of its occupation thereof under this lease or by means or reasons of its continuing to occupy the said land after the expiration of this lease without any fresh or renewal lease and although there may be part from its present provisions no express agreement or agreement excluding the acquisitions of right of occupancy.

c) If the tenants commit or allow to be committed breach of any of the terms conditions and stipulations and covenants on his part herein contained as per Clauses 2 (ii) to 2 (iii), and 2 (iv) and 2 (vii) shall remain unpaid for twenty one days after the same became due (whether formally demanded or not) or if the tenant or other the person in whom for the time being the terms hereby created is vested shall be adjudicated insolvent or if the demised land or any part thereof or the right, title or interest of the tenant or any part thereof therein shall be sold in execution of any decree of Court (whether being a mortgage or money decree or otherwise) and the Society shall not have consented to such sale their and in any of such cases it shall be lawful for the Society to enter the demised premises or any part thereof in the name of the whole and thereupon the terms hereby created shall be determined.

d) It is hereby further agreed that the permission of the Society necessary to be obtained as stated in Clauses 2 (x), 2 (xi), 2 (xviii), 2 (xiv) and 2 (xv) will be at the absolute discretion of the Society.

e) The provisions of Section 108 of the transfer of Property Act 1882 (except sub-lease) shall not apply to the Tenancy by these presents created.

6) In the event of the property or any part thereof or any interest therein being vested in or being occupied by any person other than a member of the Society or his heirs or the legal representatives, in violation of the terms of the lease or in the event of the tenant's breach of any of the aforesaid condition the Society may, by three Calendar month's previous notice in writing, determine the lease and on the expiration of such notice the lease shall forthwith be determined, and in the event of the lease being determined by such notice as aforesaid, the Society shall pay to the tenant the value of the tenant's interest in the. property (excluding the site thereof) at the date of the said notice (such value to be determined by a valuer to be appointed by the Society) after deducting there from 5 % (five) percent of the amount of valuation and any monies then due to the Society.

Ruchi Khater

SCHEDULE "C"

Name of the tenant : RUCHI KHATRI

Plot No. 62 (phase-2) Area : 3905.5Sft (09 decimal approx)

North- Society common boundary wall – 75.5 ft South- Society 20ft wide road – 70.5 ft

East- Society plot no. 61 – 50.5 ft West – Society boundary wall – 56.5 ft

And the same is more particularly delineated in the plan annexed hereto and therein coloured red within the registration district of saraikela kharswana in thana Adityapur , thana no. 126 situated at mauja Asangi Ward no. 4 (O) , A.N.P. having new ward no. 2 and old Khata no. 96 , Corresponding to old plot no. 210 , Holding no. 00.2000233700070.

IN WITNESS WHEREOF the Society through its Hony. Secretary Shri Nagendra Kumar Singh and the Committee member Smt. Shanti Devi and the Tenant RUCHI KHATRI Have signed this deed in token of the acceptance of the terms and conditions mentioned above.

SIGNED BY For and on behalf of the Process Engineer's Co-operative Housing Society Ltd., Baridih, Jamshedpur.

1 Hony secretary 17. K. Singh.
31.03.23


2 Committee member
शांति देवी

अवतानक बापक
श्रीकेश इंजीनियरिंग सोसायटिज लिमिटेड
एन. वारीबीह (जमशेदपुर)
Ruchi Khatri

Ruchi Khatri

In presence of Witnesses

- 1 ASIM KUMAR PRADHAN
S/O - NARAYAN PRADHAN
AT - 124, 1/2 O. CRONO
SOUTH PARK, BISTUPUR
- 2 Chandi Prasad Sahoo
S/O. Late. Golan Bihar Sahoo.
31.03.23



(SIGNED BY : Member Tenant Plot Holder

RUCHI KHATRI W/O ROSHAN KHATRI

17. K. Singh.
Hony Secretary

शांति देवी
Committee member

Ruchi Khatri
Member tenant plot Holder

अवतानक बापक
श्रीकेश इंजीनियरिंग सोसायटिज लिमिटेड
एन. वारीबीह (जमशेदपुर)
Ru

12.11.2018
Ruchi Khatri
Ruchi Khatri

or permit to be erected any out house, boundary wall, sewage, drains and latrine on the land demised without previous written permission of land in accordance with plans and specifications approved by the Society.

xi) Not to demolish or permit or suffer the demolition of any of the existing building on the demised land or any portion thereof without permission of the Society.

xii) Not to diminish the value of or in any way injure the said land or any of the buildings or portion thereof for the time being erected in the said land.

xiii) Not to keep any cattle or other animals for profit without the previous permission of the Society and to abide by all the regulations that may be imposed in this regard by the Society.

xiv) Not to transfer charge or create any interest by way of sale mortgage, assignment sub-lease, otherwise part with possession of the demised premises or any part thereof or the building constructed thereon or any part thereof or create any other interest therein or in the building on the demised land or any part thereof or the right of enjoyment thereof without the consent of the Society previously obtained in writing. In case of permitted transfers to pay to the Society 5% of the consideration money for such transfer.

xv) Not to cut any trees standing on the demised land without the previous written permission of the Society.

xvi) Not to keep or store any dangerous or inflammable substances or keep for sale or storage any intoxicating liquor in the demised premises.

xvii) At all reasonable times to allow persons authorised by the Society to enter upon said land or the buildings thereon for the purposes of satisfying the Society that the covenants on the part of the tenant area being duly observed and duly performed.

xviii) To surrender and yield up peacefully and quietly the demised premises to the Society upon the expiration of earlier determination of the aforesaid terms.

3) And the Society hereby covenants with the tenant that the tenant, paying the said rent and performing and observing the covenants hereinbefore contained, may peacefully hold and enjoy the demised premises for the said terms (Subject to earlier determination as herein provided) without any interruption by the Society, person or persons claiming through or under it.

4) And the Society hereby further covenants with the tenant that the Society will on the

Ruchi Khatri

14.11.23
31.03.23
Ruchi Khatri

iii) To bear, pay and discharge all Rents, Taxes Assessment, Impositions or Outgoings or to be imposed by any Municipality or Statutory Authority upon the demised land and the building thereon or upon the owner' or occupier thereof.

iv) To pay to the Society in advance on the 15th of every English Calendar month such month as may be fixed and assessed by the Society as payable by the tenant in respect of cost incurred for maintain health, sanitation and cleanness of the Colony and welfare charges, the same being fixed by the Society in proportion to the area held by the tenant under lease from the Society.

v) To pay every month regularly to the Society Electric and water charges for supply of, electricity and water to the Premises within 21 days of presentation of bills thereof in accordance with the Rules of the Society.

vi) To observe all the Rules and Regulations of the Society for the time being in force regarding supply of water and electricity and also all the rules and regulations provided in this regard in any law for the time being in force.

vii) To pay to the Society within 21 days of the presentation of the bill such amount as may be fixed and assessed by the Society as payable by the tenant in respect of the extra cost incurred in development work already undertaken or in any further development work made or to be made in the Colony as decided by the Society and that over and above other charges payable by the tenants.

Viii) To use the premises on the demised land for residential purposes only, constructing only one residential building thereon and for no other purpose whatsoever and in particular not to use the demised land for agriculture, horticulture, commercial, industrial or business purposes provided that the tenant shall be at liberty to maintain flower garden as adjunct to the residential building on the land for the use of the occupier thereof and for no other purposes.

ix) To keep the premises and particularly the building on the said demised land and all drains in good repair and condition to the satisfaction of Society.

x) Not to erect or permit the erection of any buildings or make or permit or suffer to be made any permanent alteration or addition to any existing building or out of damage any of the principal walls of the building on the land demised or dig any well or pit and not to erect

Ruchi Khatri

V. K. Singh
31.03.23
पञ्चमाली
संस्थापक
रुची खत्री
Rushi Khatri

and other amenities by huge expenses and labours, to make the land fit for allotment to its eligible members, in the said area which the Society has named as "VIVEK BIHAR COLONY", Adityapur, P. S. Adityapur, Sub-division Saraikela, District Saraikela-Kharswan.

AND

WHEREAS, the Lessee is a Constituent member of the Lessor/ Society and on his/her application the Society has agreed to grant lease of a piece of land described in Schedule 'C' below (which forms part of Schedule 'A' land) in view of the eligibility of the Lessee under the Rules and Regulations of the Society.

NOW THIS DEED OF LEASE WITNESSETH AS FOLLOWS :

1. That the Lease will be for fixed period of 30 years (Thirty years) commencing from the date of allotment of land i.e. 10-03-2023 subject to earlier determination as herein provided by yielding thereof unto the Society an yearly rent of Rs1,00,000/- (Rs one lakh) per year payable in advance every year on or before 15th day of March.
2. That the tenant for himself / herself and his / her heirs and administrator and permitted assigns respectively with the intent that the obligations may continue throughout the terms hereby covenants with the Society as follows :-
 - i) To pay the yearly rent on the day and in the manner aforesaid and in case of default but without prejudice to the right of re-entry as herein provided to pay interest at Fifteen percent per annum from the date of default to the date of payment.
 - ii) In consideration of the expenses incurred / to be incurred by the Society in developing the land and providing for other amenities viz.- drains, roads, sewers, water line, electricity, community center etc., in the area as aforesaid and costs and expenses of maintaining the same and cost and expenses in the Management of the Society and insurance of the property. To pay to the Society along with the aforesaid rent during the continuance of this Lease a further sum of money as may be assessed by the Society, such further contribution as may be assessed by the said Society shall be final and conclusive as between the parties hereto.

Rushi Khatri

M. K. Singh
31.03.23
Ruchi Khatri

the SOCIETY / LESSOR (which expression shall unless repugnant to the context mean and include its successor-in-office legal representatives , administrators , executors , nominees and assigns) of the one part.

AND
IN FAVOUR OF

RUCHI KHATRI Wife of **Roshan Khatri** Grand daughter of **Late Vikram Lal Khatri** by caste - General (non objected from CNT act 1908), aadhar no. XXXX XXXX 8614 (PAN No. DVYPK3232C) By faith Hindu By nationality INDIAN by occupation House wife resident of H No. 23 , S.K.G. Colony Kandra, P.O. + P.S.- Kandra , Dist - Saraikela-Kharswan , Jharkhand. A member of the society (Lessor) having membership no 228 dated 10-12-2022 hereinafter called the **LESSEE** (which expression shall unless, excluded by or repugnant to the context mean and include his / her heirs, successors, legal representatives, administrators, executors, nominees and assigns) of the Other Part :

Whereas, the LESSOR / SOCIETY has been formed by its Constituent members including the present lessee for the purpose of providing residential accommodation in or around Jamshedpur to its members under the Rules and Regulations of the Society, and such other purposes.

AND

WHEREAS; in furtherance of aforesaid Prime Object of the Society, the Society has acquired Land measuring **03.01.81 Hectares** in Mouza Asangi, Ward No. 4(o) & 2 (new) , Adityapur Nagar Parishad, more fully described in the Schedule 'A' below by virtue of different Sale Deeds from different parties as described in the Schedule 'B' below.

AND

WHEREAS, after acquiring the aforesaid land measuring in Mouza Asangi, the Society has improved the land by levelling it and providing roads

Ruchi Khatri

Handwritten notes at the bottom right corner.

12-11-2023
बलवान
31.03.23
बाली
Ruchi Khator

written request of the tenant made six English Calendar months before the expiration of the terms hereby created and if there shall not at the time of such request be any existing breach or non-observance of any of the terms, conditions, stipulations and covenants on the part of the tenant herein before contained and provided that the Society shall not have given notice to determine, this lease under the provisions in that behalf herein contained, at the expenses of the tenant grant to the tenant further lease (hereinafter referred to as "THE FIRST RENEWED LEASE") of the said land for the further terms of thirty three years (subject to earlier determination by the Society on three months notice in writing given to the tenant) at a rent to be mutually agreed upon but not exceeding one and one half times the rent hereby reserved and containing such other terms and conditions as may be mutually agreed upon at the time including the present covenant for renewal PROVIDED ALWAYS that any lease (hereinafter referred to as "THE SECOND RENEWED LEASE") granted under this Option lease shall not contain any option for any further renewal, the intention being that after the expiration of this present lease the tenant shall only be entitled to two such renewals AND PROVIDED that the second' renewal lease shall be at a rent to be mutually agreed upon, but not exceeding one and one half times the rent reserved by the first renewal lease.

It is mutually agreed between the Society and the member, if any member will die before the expiration of lease, in that case the said Society will renew the lease as per the Indian Succession Act and minimum charge will be realised from the legal heir and successor of deceased member.

5) IT IS HEREBY EXPRESSLY AGREED AND DECLARED by and between the respective parties hereto as follows

a) It shall be lawful for either party to determine this present lease at any time before the expiration of the aforesaid terms by giving to the either, three English Calendar month's previous notice in writing to that 'effect and at the expiration of such notice this present lease shall cease and determine notwithstanding that the aforesaid terms shall not have expired but without prejudice to the remedies of either party against the other in respect of any claim or breach of covenant existing on the date of such termination.

b) The tenant shall not acquire any permanent rights or right of occupancy in the said

Ruchi Khator

गम्हरिया । आसंगी । 02/0126 । प्रोसेस इन्जीनीर्स को ऑपरेटिव हा० सोसाइटी लि०

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
11,7,96	210,212,213	0 एकड़ 40.71 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल (2022-2023)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष	
माल (नकदी)	48.90					48.90
गुजारी (भावली)	12.22					12.22
सेस	24.45					24.45
सूद	24.45					24.45
मुतफरकात	24.45					9.78
मौजान	9.78					119.80
	119.80					

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	सालाना	बकाया				मोतालबा हाल (2022-2023)	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष		
माल (नकदी)	48.90					48.90	
गुजारी (भावली)	12.22					12.22	
सेस	24.45					24.45	
सूद	24.45					24.45	
मुतफरकात	24.45					9.78	
मौजान अदायकारी	9.78					119.80	

(१) मौजान कुल (लफ्जों में) : One Hundred Nineteen Rupees and Eighty Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 119.80

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 25-08-2022

खास महांल का बकाया मालगुजारी घर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।

1236

1116



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 3edbbba392e97032452c1

Receipt Date : 30-Mar-2023 09:28:47 pm

Receipt Amount : 20000/-

Amount In Words : Twenty Thousands Rupees Only

Token Number : 202300034741

Office Name : SRO - Saraikela

Document Type : Lease

Payee Name : RUCHI KHATRI (Vendee)

GRN Number : 2316464614



:- For Office Use :-



[Handwritten Signature]

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

धर्मोत्तम खत्री

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

नमः इति नियमों का पालन करने हेतु। धर्मोत्तम खत्री

[Handwritten Signature]

Lease 30 yrs. Value 5,00,000/- Stamp 20000/- Adityapur (475)

मूल्यांकन सूची से जांच 31/3/2023
दस्तावेज जांच एव 31/3/2023

N.K. Singh


बिहार के अधिनियम 29
1935 के अधिनियम कोषावधि में
सं. 29 जाम (अनुपम विहार)
31.03.23

Ruchi Khatri

दस्तावेज में वर्णित मूले
प्रतिबंधित सूची से जांच है

का लेाते... 31/2/2023
C.N.T Act 1908 की धारा 461(B) के
अन्तर्गत नहीं है।

31/3/2023
जांचकर्ता



"LEASE DEED"

N.K. Singh
31.03.23

नियम-21 के अधीन ग्राहक

भारतीय स्टाम्प अधिनियम

(इण्डियन स्टाम्प एक्ट-1899) की

अनुसूची-1 या 1 (क) से

अधीन यथागत स्टाम्प लगे या

स्टाम्प शुल्क में विमर्ग या

स्टाम्प शुल्क अर्पित नहीं

31/03/23
2023 निदेशक पदाधिकारी

Fee Paid

Rs - 15000/-

E 2000/-

17000/-

31/3/2023

THIS DEED OF LEASE is made the 31st day of March 2022
at Saraikele.....by

**THE PROCESS ENGINEER'S CO-OPERATIVE HOUSING
SOCIETY LIMITED**, registered under the Bihar and Orissa
Society Act, 1935 bearing Registration No. 29 JAM dated 29-9-
1986 having office at H. No. 33, Anupam Vihar Colony,
Dhiraiganj, Adityapur, P.O.- Adityapur Industrial Area,
Dist. - Saraikele Kharsawana, represented through its

Honorary Secretary namely Nagendra Kumar Singh Son of
Late Bhikham Singh, Grand son of late Subhaw Singh, cast
- General (non objected from CNT act 1908), by faith hindu,
by occupation ex employee, aadhar no.- xxxx xxxx 5354
, residing at H.No. 11, Cross Road No. 2, Old T C Colony, B
H Area, Kadma, Jamshedpur - 831005. Hereinafter called

Ruchi Khatri

Malim Choudhary
20/11/70

: 5 :

3. That the vendor hereby declares that the said land hereby conveyed by the vendor to the purchaser is free from all encumbrances, lien or charges of any kind whatsoever and the vendor has got all rights, title, interests and possession over the same to transfer unto the purchaser. In the event of the Schedule below land or any part thereof being lost to the purchaser on account of any claim made by any other person or persons, the vendor and all his heirs and successors shall be bound to make good the loss which the purchaser may sustain.

4. That the purchaser shall be entitled to get the Schedule below land mutated in its own name in the records of the landlord, the State of Bihar and shall pay rent of the said lands to the said Landlord through Circle Officer at Gamharía, and obtain rent receipts.

5. That the vendor has agreed to execute and register any other deed of assurance in favour of the purchaser in order to confirm and perfect the rights, title, interests and possession of the purchaser over the schedule below land, if such a deed is required in future.

SCHEDULE :

In District Singhbhum (West), Pergana Seraikella, District Registry Chaibass, Sub-Registry Seraikella, P.S. Adityapur, in Ward No: 4 Adityapur Notified area, mouza Asangi, Raiyati Agricultural land measuring total area of 0.16.35 Hectare, as detailed below :-

for the Choudhury
30/10/90

AND Whereas the vendor and his brother being in urgent need of money, have entered into Agreement with the present purchaser for their aforesaid lands separately as per the said Family Arrangement; and in pursuance of the said agreement the vendor on offer of consideration amount, hereby executes this sale deed conveying land measuring 0.16.35 Hectare comprising of Plot No: 283, 287 and portion of Plot No: 268 under Khata Nos: 79, 82 and situated in mouza Asangi, Ward No: 4 Adityapur Notified Area, P.S. Adityapur, Dist. Singhbhum (W), more fully described in the schedule below, on the following terms and conditions.

NOW THIS DEED OF SALE WITNESSETH AS FOLLOWS :-

1. That in consideration of a sum of Rs 49,000/- (Rupees Fortynine thousand only) being the total sale price of the land described in the Schedule below paid by the purchaser to the vendor, the receipt of which the vendor does hereby admit and acknowledge, the vendor has today, by way of sale conveyed all that piece and parcel of Raiyati agricultural land more fully described in the Schedule below, together with all the rights, title, interests, easement and appurtenances thereto unto the purchaser to have and to hold the same as the absolute owner thereof.

2. That the vendor has delivered the physical possession of the said land to the purchaser who shall have quiet and peaceful possession and enjoyment over the said land without any interruption from the vendor or any other person or persons claiming under the vendor.

100Rs.



: 3 :

the Other Part :

WITNESSETH AS FOLLOWS :-

Whereas the lands situate in mouza Asangi, Ward No: 4 Adityapur Notified Area, appertaining to Khata No: 77, 79 & 82 of the present Survey belong to and are recorded in the names of the present vendor and his brother Ramdas Choudhury both sons of Late Ashulal Choudhury, and they are in peaceful possession of the same as the absolute owners thereof.

AND Whereas by an oral amicable Family Arrangement the vendor and his aforesaid brother have partitioned their lands in the aforementioned khatas for the better management and utilisation of the same. Accordingly an area measuring 0.29.75 Hectare comprising portion in plot No: 269 of Khata No: 79, portion of Plot No: 268 of Khata No: 77 and entire plots No: 283 and 286 of Khata No: 82, in mouza Asangi, fell to the exclusive separate share of the present vendor and he is in exclusive possession of the same as the absolute owner thereof.

Ramdas Choudhury
5/11/50

200Rs




IN FAVOUR OF :

*Path. Chandhary
20/1/90*

MESSRS PROCESS ENGINEERS' CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY, Jamshedpur, a Society registered under the Bihar and Orissa Co-Operative Societies Act, bearing Registration No: 29-J A M dated 29.9.1986, having its Office at Baridih, P.O. Old Baridih, P.S. Sidhgora, Town Jamshedpur, District Singhbhum (East), and represented through its Chairman and Hon. Secretary, namely MR. UMESH PRASAD SRIVASTAVA S/O Sri Tarini Prasad, (Chairman/President), and MR. NAGENDRA KUMAR SINGH S/O Late Bhikam Singh (Hon. Secretary), both by faith Hindu, by nationality Indian, by occupation Service, residents of Baridih, P.S. Sidhgora, Town Jamshedpur, Dist. Singhbhum(East), hereinafter called the "PURCHASER" (which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, mean and include its successors-in-office, legal representatives, administrators, executors and assigns) of

3229

3926. 3000Rs



Dist. Singhbhum

Subdivision Serakolla

Gambhira

Halka No.

Date of execution of this deed for registration

Remarks

Sl. No.	Mutation case No. in Register	Village	Thana and Thana No.	No. of tenancy to which the mutation relates	Authority mentioning mutation with date of order	Whether the land is to be sold with or without partition or segregation	Full details of machines attached by mutation
1	372/12-13

THREE THOUSAND RUPEES

Handwritten text in Hindi and English, including a 'SALE DEED' section. The text describes the sale of land and includes details of the parties involved, such as 'SRI JALIN CHODHURY S/O Ashutosh Choudhury'.

Forwarded to the Karamchari, Halka No.

Forwarded to Sr/Smt.

THIS DEED for information and necessary action on this the 27th day of November, 1990 at Chaibasa

by SRI JALIN CHODHURY S/O Ashutosh Choudhury,

by faith Hindu, by nationality Indian, by occupation cultivation, resident of Uliyan, Kadma, P.S. Kadma, town Jamshedpur, District Singhbhum (East), hereinafter called the "VENDOR" (which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, mean and include his heirs, successors, executors, administrators, legal representatives, and assigns) of the ONE PART :

....2.